सं. 19051/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 24 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन –वर्दी भत्ता –दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दीभत्ता की अनुमति दिए जाने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 02.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19050/1/2017-ई.IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा "4" के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए इस विभाग में कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि वर्दी भत्ते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में सीधे कर्मचारियों के वेतन में जमा की जाएगी।

3. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है और दिनांक 02.08.2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है:

i. यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी दिनांक 02.08.2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार जुलाई माह में वर्दी भत्ते का भुगतान किए जाने के बाद सेवा में आया है, तो वर्दी भत्ता आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा।

ii. वर्दी भत्ते का आनुपातिक भुगतान निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके दिया जाएगा:-

= राशि ÷ 12 × महीनों की संख्या (सरकारी सेवा में आने के महीने से आगामी वर्ष के जून के महीने तक)

4. वर्दी भत्ता प्रदान करने संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें वही होंगी, जो दिनांक 02.08.2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित की गयी हैं।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

6. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

स कु. दास

(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग,मानक वितरण सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।